# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—261/2021/223 आर.टी.एक्ट (2021/261)

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सावर जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. गट्टू बेवा लादू
2. रामपाल पुत्र लादू
3. रामेश्वर पुत्र लादू
   जाति बलाई निवासी गोठडा तहसील सावर जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

**अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, केकडी दिनांक 20.07.2021, वाद संख्या 163/ 2012.**

उपस्थितः—

1. श्री विकास पाराशर, राजकीय अभिभाषक, अपीलांट ।
2. श्री महावीर प्रसाद मेघवंशी, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या. 01से 03.

## निर्णय

दिनांकः—29.08.2022

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के द्वारा वाद संख्या 163/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.07.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के समक्ष एक वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी के पिता लादू को दिनांक 05.06.1965 को साबिक खसरा नम्बर 397 में 15 बीघा भूमि ग्राम गोठड़ा में आवंटित की गई थ। तहसीलदार, केकड़ी ने दिनांक 08.08.1984 को नामान्तकरण संख्या 74 से 6 बीघा 5 बिस्वा 10 बिस्वांसी का नामान्तकरण स्वीकार कर लिया तथा शेष रकबा 8 बीघा 04 बिस्वा बाबत् कोई कार्यवाही नहीं की। उपरोक्त वाद—पत्र को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा दिनांक 05.10.2009 को खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिन्होने अपने निर्णय दिनांक 08.05. 2012 से प्रकरण को पुनः निर्णय किए जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया था तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा बिना कोई साक्ष्य का विवेचन किये, बिना कोई तनकी पर निर्णय पारित किए नोन स्पीकिंग आदेश के द्वारा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.07.2021 पारित कर दी। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट ने मान्नीय न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की है।
3. अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड प्राप्त होने के पश्चात, प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
4. विद्वान राजकीय अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम दौराने प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम बहस में निवेदन किया अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा दिनांक 20.07.2021 को

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

निर्णय पारित करने के उपरान्त मान्नीय न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक, पीपलाज द्वारा कार्यवाही कर तहसीलदार, सावर के आदेश अनुसार जिला कलक्टर, अजमेर से अनुमति प्रदान करने व राजहित को सुरक्षित रखने हेतु अपील प्रस्तुत करने हेतु वाद प्रभारी नियुक्ति हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश क्रमांकःक.अ./विधि/2021/780 दिनांक 3.11.2021 की अनुपालना में दिनांक 30.11.2021 को राजकीय अभिभाषक को अपील प्रस्तुत करने अधिकृत किया गया। अपील करने हेतु नियुक्त किये जाने पश्चात नकले आदि प्राप्त कर अविलम्ब ही अपील प्रस्तुत की जा रही है,इसलिए अपील को अन्दर मियाद शुमार कर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है। अपील में देरी के जो कारण सदभाविक होने से कन्डोन किये जाने योग्य है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार किय जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. तत्पश्चात विद्वान राजकीय अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि वाद–पत्र में जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है तो प्रकरण में तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य लेकर विधिवत रूप से न्यायिक प्रक्रिया के तहत् निर्णय पारित किया जाना चाहिए किन्तु वर्तमान प्रकरण में प्रतिप्रेषित होने के उपरान्त जाप्ता दीवानी में वर्णित प्रावधानों के विपरीत जाकर राजकीय भूमि पर अवैधानिक रूप से निर्णय व डिक्री दिनांक 20.07.2021 पारित कर दिया गया है, जो विधि द्वारा प्रावधित प्रावधानों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में वाद खारिज किया जा चुका था तथा उसकी की गई अपील को मान्नीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया है तो सम्पूर्ण तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए विधिवत रूप से निर्णय पारित करना चाहिए किन्तु वर्तमान प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा अत्यन्त ही भिन्न आदेश पारित आवंटन नियमों के तहत् कार्यवाही करने का अविधिक आदेश पारित कर दिया और इस बिन्दु को नजर अंदाज कर दिया कि किसी भी व्यक्ति को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रावधित प्रावधानों के तहत् ही खातेदार अधिकारी प्राप्त हो सकते है, किन्तु खातेदारी घोषणा के वाद में उक्त दिये गए दिशा निर्देश पारित ही नहीं किये जा सकते इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत नहीं होने के कारण खारिज योग्य है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.07.2021 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 03 ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया कि राज्य सरकार द्वारा जो प्रार्थना–पत्र में जो देरी के कारण अंकित किये है वह सदभाविक नही है अपील लगभग 5 माह बाद प्रस्तुत की गई है जो मियाद बाहर होने से निरस्त योग्य है।

7. तत्पश्चात अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने दौराने जवाब/बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है।मान्नीय न्यायालय ने प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस बात की जॉच करने प्रतिप्रेषित किया गया था कि आवंटन के पश्चात आवंटी के खाते में आवंटित रकबे से कम भूमि किस आदेश से अथवा किस कारण से अंकित की गई। वादी के पिता लादू को दिनांक 05.06.1965 को साबिक खसरा नम्बर 397 में से 15 बीघा भूमि ग्राम गोठड़ा में आवंटित की गई थी। जिसमें से नामान्तकरण संख्या 74 द्वारा केवल 6 बीघा 5 बिस्वा 10 बिस्वांसी का

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

इन्द्राज किया गया था शेष भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त होने एवं भूमि आवंटन नियमों/शर्तो की पालना में सादिक खसरा नम्बर 397 रकबा 15 बीघा में से पूर्व में इन्द्राज को छोड़कर वर्तमान खसरा नम्बर 770 रकबा 8–14–10 बीघा पर आवंटन नियमों के तहत् कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार, सावर को निर्देशित किया गया है जो विधि सम्मत है। मौका रिपोर्ट अनुसार भी खसरा नम्बर 770 रकबा 9.04 है0 में से 1.40 है. पर वादी रामपाल का ही कब्जा पाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय के निर्देशो के अनुसार आदेश पारित किया है उसी कथनो के आधार पर व विधि सम्मत निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किये है। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित नही की है। वादीगण को पूर्व में आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त होने के कारण एवं उक्त आवंटन आदेश को किसी भी न्यायालय में कोई चुनौति नही दी गई, निरस्त नहीं किया गया है। वर्ष 1965 में आवंटन किया गया था जिससे खातेदारी अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो गये है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदारी अधिकार दिये गये है, जो विधि सम्मत है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

8. सर्वप्रथम हम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांट ने प्रार्थना–पत्र में देरी का मुख्या कारण यह वताया कि माननीय जिला कलक्टर, अजमेर से निर्देश प्राप्त होने के पश्चात अपील प्रस्तुत की है। प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा जो प्रार्थना–पत्र में देरी के कारण अंकित है जो सतोषप्रद ह तथा काउन्टर शपथ पत्र अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जाने से प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

9. विद्धान राजकीय अभिभाषक एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्टस द्वारा की गयी वहस पर मनन किया गया। प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण को पूर्व में दिनांक 08.05.2012 को प्रतिप्रेषित किया गया था तक आवंटी के खाते में आवंटित रकवे से कम भूमि किसी आदेश से अथवा किस कारण से अंकित की गई साथ ही विवादित आराजी के कब्जे काश्त के सम्वन्ध में तहसीलदार द्वारा न्यायालय हाजा में भिजवाई गई कब्जे की मौका रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए वादी/अपीलांट को सुनकर वाद को नये सिरे से निर्णित करें, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र यह अंकित कर आदेश पारित कर दिया कि तहसीलदार, सावर साविक खसरा नम्बर 397 के नये नम्बर जिसका मिलान क्षेत्रफल से मिलान करके वादीगण का कब्जा काश्त पाया जाने कारण आंवटन शर्तो की पालना की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व वाद संख्या 291/2007 में पारित निर्णय दिनांक 05.10.2009 को तनकीयात कायम कर तनकीवार निर्णय पारित किया गया था प्रत्येक तनकी का विस्तृत विवेचन किया गया, किन्तु उक्त वर्तमान वाद को केवल कब्जे के आधार पर ही निस्तारण किया गया है, जिसमें प्रतिवादी से कोई पुनःजवाब प्राप्त नहीं किया गया है केवल मात्र मौके की रिपोर्ट के आधार दावा स्वीकार किया है जो विधि सम्मत नही है। माननीय उच्चतर न्यायालय ने अपने अनेको निर्णय में यह प्रतिपादित है कि कब्जे के आधार पर खातेदार अधिकार नहीं दिये जा सकते है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 20.07.2021 निरस्त योग्य है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर पुनः प्रकरण में

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

जवाब दावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर, उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, वाद को पुनः निर्णित करें।

10. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के द्वारा वाद संख्या 163/2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.07.2021 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर पुनः प्रकरण में जवाब दावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर, उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, वाद को पुनः निर्णित करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 04.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर